क्रमांक 30/77/79-एल (1)

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

(1) सभी विभागाध्यक्ष, मण्डलीय आयुक्त, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी।

(2) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़ तथा सभी जिला एवं सत्र-न्यायाधीश।

दिनांक चण्डीगढ़ 14 मार्च, 1980

विषय :—गोपनीय रिपोर्टों बारे समेकित हिदायतें।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 2334-ए0एस0आई0-60/15708 दिनांक 3-3-196 द्वारा जारी की गई तथा समय समय पर संशोधित हिदायतों की ओर आपका ध्यान दिलाने तथा यह कहने का निदे हुआ है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं के सम्बन्ध में यदि उ कोई मैडल आदि दिया जाए तो उस सम्बन्ध में जो अधिसूचनाएं/पत्र जारी किए जाएं, उनकी प्रतियां सम्बन्धित कर्मचारी अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट फाईल में भी रख दी जाए।

2. उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में निम्नलिखित sub-para (g) गोपनीय रिपोर्टस से सम्बन्धित समेकि अनुदेश के पैरा 13(i) (f) के नीचे जोड़ दिया जाए।

"13 (i) (g) a copy of notification/letter regarding award of medal to a Government employee in recognition of his service.

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :—

वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार। सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।